

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: दोषी मोहम्मद तनवीर की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जेल आचरण और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के भी आदेश

नई दिल्ली। वर्ष 2008 में अहमदाबाद को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मोहम्मद तनवीर की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। शीर्ष अदालत ने तनवीर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत जताते हुए उसकी फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने उसके जेल में आचरण, वहां किए गए काम और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से संबंधित रिपोर्ट भी निर्धारित समयसीमा के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले को 12 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब तनवीर की अपील पर आगे की सुनवाई और उससे जुड़े अभिलेखों तथा रिपोर्टों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दोषी मोहम्मद तनवीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह

निर्देश दिया। तनवीर ने गुजरात हाई कोर्ट के सात जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने नौ अक्टूबर को पारित अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता तनवीर को दी गई मौत की सजा पर रोक रहेगी। अदालत ने मामले से जुड़े मूल अभिलेख निचली अदालत और हाई कोर्ट से मंगाने का भी निर्देश दिया है, ताकि अपील पर विचार करते समय पूरे मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केवल सजा पर रोक लगाने तक ही अपने निर्देश सीमित नहीं रखे, बल्कि दोषी के वर्तमान आचरण और जेल में उसके व्यवहार से संबंधित जानकारी जुटाने को भी कहा है। अदालत ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर तनवीर से संबंधित सभी परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट पेश करे। इसके अतिरिक्त संबंधित जेल के अधीक्षक को



भी आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट में यह जानकारी देनी होगी कि जेल में तनवीर ने किस प्रकार का काम किया है और वहां उसका आचरण कैसा रहा है। पीठ ने उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित जेल प्रशासन सरकारी मंडिकल अस्पताल से उसका मूल्यांकन कराए और इसकी रिपोर्ट भी तय समयसीमा के भीतर अदालत में प्रस्तुत की जाए।



इन निर्देशों से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट अपील पर आगे विचार करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड और निर्धारित रिपोर्टें जुटा रहा है। हालांकि, मौत की सजा पर रोक को दोषसिद्धि समाप्त होने या आरोपी को बरी किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल अदालत ने केवल सजा के क्रियाव्ययन पर रोक लगाई है। दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम निर्णय आगे

की न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा। अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों की घटना देश के सबसे गंभीर आतंकवादी हमलों में गिनी जाती है। 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के अलग-अलग इलाकों में महज 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाके हुए थे। अचानक हुए इन विस्फोटों से शहर में अफरा-तफरी मच गई थी। धमाकों में 56 लोगों की जान चली गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। कई स्थानों पर एक के बाद एक हुए विस्फोटों ने आपातकालीन सेवाओं, पुलिस और अस्पतालों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। घटना के बाद जांच एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर जांच की और मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच और मुकदमे की लंबी प्रक्रिया के बाद विशेष अदालत ने दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाया था। इस मामले में विशेष अदालत ने फरवरी 2022 में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 11 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी। एक ही मामले में 38 लोगों को मृत्युदंड सुनाए

जाने के कारण यह फैसला विशेष रूप से चर्चा में आया था। इसके बाद दोषियों ने सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने सात जुलाई को उनकी अपीलें खारिज कर विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने सजा कायम रखने के पीछे बड़ी संख्या में लोगों की मौत, साजिश के व्यापक स्वरूप और बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के इरादे जैसे पहलुओं का उल्लेख किया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अब दोषियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मोहम्मद तनवीर की याचिका पर शीर्ष अदालत का ताजा आदेश इसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड मंगाने के साथ-साथ जेल प्रशासन और गुजरात सरकार से रिपोर्टें तलब की हैं। इन रिपोर्टों में जेल के भीतर दोषी के व्यवहार, उसके कामकाज और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से संबंधित विवरण शामिल होंगे। अदालत इन दस्तावेजों और अपील में उठाए गए

मुद्दों पर विचार करने के बाद आगे की सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को इसी मामले के दोषियों में शामिल अब्बू अबुबकर बरेलवी की मौत की सजा पर भी रोक लगाई थी। अब तनवीर की सजा पर रोक लगाए जाने से स्पष्ट है कि मामले के दोषियों की ओर से शीर्ष अदालत में दायर अपीलों पर अलग-अलग स्तर पर विचार किया जा रहा है। किसी एक दोषी की सजा पर रोक लगने से अन्य दोषियों की सजा अपने आप प्रभावित नहीं होती। प्रत्येक याचिका पर अदालत संबंधित तथ्यों, कानूनी दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर विचार करती है। मौत की सजा से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है। ऐसी सजा के मामले में अदालत के सामने दोषसिद्धि, साक्ष्यों, कानूनी प्रक्रियाओं और अपील में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा का प्रश्न होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अभिलेख मंगाने और विभिन्न रिपोर्टें तलब करने का उद्देश्य मामले की आगे की

सुनवाई के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना है। हालांकि, अदालत के वर्तमान आदेश से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दोषी की सजा अंततः बदली जाएगी या बरकरार रहेगी। इसका फैसला अपील पर होने वाली आगे की सुनवाई और अदालत के अंतिम आदेश से ही स्पष्ट होगा। अहमदाबाद धमाकों में जान गंवाने वाले लोगों और घायलों के लिए यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। विशेष अदालत से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा अदालत संबंधित तथ्यों, कानूनी दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर विचार करने का उद्देश्य मामले की आगे की

सौरव दास और आशुतोष रांका को झटका न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई को लेकर सोमवार को भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। दोनों को मंदिर मार्ग पुलिस थाने में नवनियुक्त विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर, पार्टी की कानूनी सलाहकार रत्ना सिंह ने जमानत मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए दोनों नेताओं को तत्काल रिहा करने की मांग की। उन्होंने हिरासत बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए। खबर लिखे जाने तक मजिस्ट्रेट का फैसला सामने नहीं आया था, जिससे दोनों नेताओं की रिहाई को लेकर अस्थिरता बनी हुई थी।



सोमवार को हुई इस कार्रवाई के बाद सीजेपी की ओर से जमानत प्रक्रिया और पुलिस की भूमिका को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए गए। रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह अस्पष्टता के आशय का इंतजार कर रही है और उनकी नजर में दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाना का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने की मांग की। अपनी एक अन्य पोस्ट

में उन्होंने मामले की प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा बेतुकी चीज कभी नहीं देखी। उनके बयानों से स्पष्ट है कि पार्टी की कानूनी टीम दोनों नेताओं की रिहाई में हो रही देरी को लेकर असंतुष्ट है। सीजेपी की कानूनी सलाहकार की नाराजगी ऐसे समय सामने आई है, जब दोनों नेताओं की जमानत प्रक्रिया को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है। रत्ना सिंह ने इससे एक दिन पहले भी दिल्ली पुलिस पर जमानत प्रक्रिया में देरी को लेकर सवाल उठाए थे। इस घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने दोनों नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग की है।

मजिस्ट्रेट को कथित तौर पर धमकी दिए जाने का मुद्दा भी चर्चा में है। रत्ना सिंह के अनुसार, रविवार को हुई सुनवाई के दौरान अधिकांश चर्चा इसी विषय पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को धमकी दिए जाने से संबंधित मामले में पुलिस ने गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की है। इस घटनाक्रम ने जमानत प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद को और बढ़ा दिया है। हालांकि, धमकी से संबंधित मामले और दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत के बीच कानूनी तौर पर क्या संबंध है, इस बारे

में उपलब्ध जानकारी में विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है। सोमवार को दोनों नेताओं को नए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाने की मांग रखी। पुलिस को इस मांग के बाद अब सभी की नजर मजिस्ट्रेट के आदेश पर टिकी है। न्यायिक हिरासत बढ़ाने के अनुरोध पर फैसला आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों नेताओं को फिलहाल हिरासत में रहना होगा या उनकी रिहाई का सवाल खुल सकता है। खबर लिखे जाने तक आदेश सामने नहीं आया था, इसलिए हिरासत की अवधि और जमानत से जुड़ी आगे की स्थिति पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सीजेपी की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि जमानत प्रक्रिया में देरी की जा रही है। रत्ना सिंह ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नाराजगी जह्ति करते हुए दोनों नेताओं की रिहाई की मांग दोहराई है। पार्टी का कहना है कि उन्हें जल्द रिहा किया जाना चाहिए, जबकि दिल्ली पुलिस ने प्रक्रिया में जानबूझकर देरी करने के आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में मामले के विभिन्न पक्षों के दावों के बीच मजिस्ट्रेट का निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10 हजार रुपये का मुचलका और इतनी ही राशि का जमानती क्यों न लिया जाए। नेहा बोरा ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 126 और 130 के तहत 17 अक्टूबर को जारी नोटिस तथा उससे संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट से अधिकारियों को नोटिस के आधार पर उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की अपील की है। याचिका में नोटिस के आधार और उसमें नारे लगाए, धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू लागू गए आरोपों पर सवाल उठाए गए हैं। अब मामले में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका पर होने वाली सुनवाई और अदालत के रुख पर नजर रहेगी।



नेहा बोरा की ओर से दखिल याचिका के अनुसार, उद्देश्य 19 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। उन्हें यह बताने का निर्देश दिया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 135(3) के तहत उनसे शांति बनाए रखने के लिए मुचलका भरने की मांग क्यों न की जाए। नोटिस में 16 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विभिन्न प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि नेहा बोरा ने मंडी हाउस में नारे लगाए, धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास बार-बार विरोध-प्रदर्शन किए और उसी दिन कर्नाट प्लेस में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान लोगों को उकसाया। इन आरोपों के आधार पर उनसे मुचलका और जमानती प्रस्तुत करने के संबंध में जवाब मांगा गया है। हालांकि, नेहा बोरा ने अपनी याचिका में नोटिस की वैधता और उसमें दिए गए आधारों पर सवाल

उठाए हैं। उनका कहना है कि नोटिस में शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है। याचिका के अनुसार, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कथित तौर पर शांति भंग होने की आशंका किस समय, किस अवसर या किस विशिष्ट घटना से जुड़ी हुई है। नेहा बोरा का तर्क है कि किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए मुचलका भरने की मांग किए जाने के मामले में आरोपों और संभावित आशंका का स्पष्ट आधार होना चाहिए। उन्होंने इसी संदर्भ में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस और उससे जुड़ी कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में कर्नाट प्लेस में लोगों को उकसाने को आरोप को भी खारिज किया गया है। नेहा बोरा के अनुसार, उन्होंने 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे मंडी हाउस में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए लोगों को आमंत्रित किया था। उनका कहना है कि उन्हें मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया था और उनके द्वारा बुलाई गई सभा नोटिस में उल्लिखित प्रदर्शन से अलग थी। इस आधार पर उन्होंने

नोटिस में लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई है। याचिका में उनके कार्यक्रम और नोटिस में दर्ज घटनाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए कार्रवाई के आधार पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जारी नोटिस महत्वपूर्ण है। धारा 126 शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की मांग से संबंधित प्रावधानों में शामिल है, जबकि धारा 130 ऐसे मामलों में लिखित आदेश से जुड़ी प्रक्रिया निर्धारित करती है। नोटिस के जरिए नेहा बोरा से मुचलका और जमानती प्रस्तुत करने के संबंध में जवाब मांगा गया है। याचिका में इन्हीं प्रावधानों के तहत जारी नोटिस को चुनौती देते हुए कहा गया है कि शांति भंग होने की आशंका को स्पष्ट करने वाले ठोस तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, इन दलीलों पर अंतिम निर्णय अदालत को सुनवाई के दौरान उपलब्ध तथ्यों और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर करना होगा। नेहा बोरा ने हाईकोर्ट से केवल नोटिस रद्द करने की मांग ही नहीं की है, बल्कि संबंधित अधिकारियों को इसके आधार पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने की भी अपील की है।

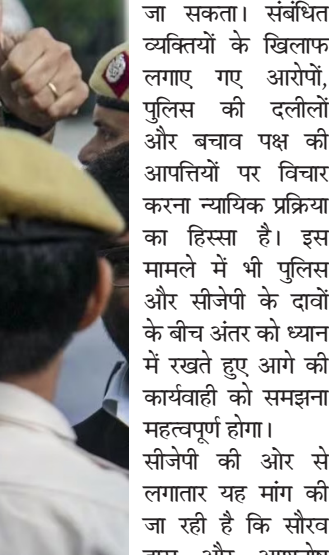
सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत दो दिन बढ़ी, रिहाई में देरी पर सीजेपी का विरोध

नई दिल्ली। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को सोमवार को न्यायिक हिरासत के मामले में एक और झटका लगा। दोनों को मंदिर मार्ग पुलिस थाने में नवनियुक्त विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाने की मांग की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों की हिरासत दो दिन बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर, सीजेपी की कानूनी सलाहकार रत्ना सिंह ने जमानत और रिहाई की प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने दोनों नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।



सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने मामले पर विचार करते हुए हिरासत की अवधि दो दिन बढ़ा दी। दोनों नेताओं की ओर से रिहाई की मांग की जा रही है, जबकि पुलिस की कार्रवाई के चलते उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिल सकी। हिरासत बढ़ाए जाने से सीजेपी के समर्थकों और नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी की ओर से लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि जमानत की प्रक्रिया पूरी होने और रिहाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होने में इतना समय क्यों लग रहा है।

सीजेपी की कानूनी सलाहकार रत्ना सिंह ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जह्ति की। उन्होंने कहा कि वह मामले में अदालत के आदेश का इंतजार कर रही हैं और उन्हें दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की कोई उचित वजह नजर नहीं आती। उन्होंने सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई की मांग करते हुए प्रक्रिया में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं।



लंबा खींचा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि दोनों नेताओं को जल्द राहत मिलनी चाहिए और उनकी हिरासत को आगे बढ़ाने के पीछे ठोस कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जमानत प्रक्रिया में जानबूझकर देरी किए जाने के आरोपों को खारिज किया है। मामले में एक अन्य घटनाक्रम विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कथित तौर पर धमकी दिए जाने से जुड़ा है। रत्ना सिंह के अनुसार, रविवार को हुई सुनवाई के दौरान चर्चा का प्रमुख विषय मजिस्ट्रेट को धमकी दिए जाने का मामला रहा। इस संबंध में पुलिस ने गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की है। इस घटनाक्रम के बाद सुनवाई की प्रक्रिया और दोनों नेताओं की रिहाई को लेकर विवाद और बढ़ गया। हालांकि, धमकी के आरोपों से संबंधित विस्तृत तथ्य और उनकी कानूनी स्थिति का निर्धारण संबंधित जांच तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है। गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप अपने आप साबित हो गए हैं। इसी तरह, किसी मामले में हिरासत बढ़ाए जाने को भी अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना

नवसर्जन संस्कृति

हिन्दी

JioTV

CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय

कोर्ट ने कहा, आजादी व सुरक्षा आपस में पूरक

ऐसे दौर में जब आस्ट्रेलिया-फ्रांस व अन्य विकसित देशों में सोशल मीडिया तक बच्चों की पहुंच सीमित करने के कानून बने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच उनका मौलिक अधिकार है। इस पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। कोर्ट ने माना कि इंटरनेट तक पहुंच और इस्तेमाल करने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ-साथ अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत निर्धारित ‘वाक् और अभिव्यक्ति का आजादी’ में ही निहित है। दरअसल, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी.चंद्र की पीठ इंटरनेट के जरिये बच्चों के शोषण और दुर्य्वहार से जुड़ी सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के उपायों पर विमर्श कर रही थी। इसी बीच कई देशों द्वारा एक निर्धारित उम्र तक के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने का मामला सामने आया। भारत में भी इस तरह के प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। अदालत का मानना था कि हम बच्चों से जुड़ी ऐसी चिंताओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर प्रतिबंध इसका न्यायोचित विकल्प नहीं है। शीर्ष अदालत ने माना कि इस माध्यम से बच्चों को दूर रहकर हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। अदालत का तर्क था कि बच्चों की खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्हें दोनों ही चीजें मिलनी चाहिए। अदालत का मानना था कि नई पीढ़ी के बच्चों के लिये इंटरनेट सीखने का माध्यम भी है। दूरदराज के इलाकों में जानकारी पाने का एकमात्र जरिया होता है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का गंभीरता से संज्ञान लिया कि देश में नाबालिगों से जुड़ी अश्लील सामग्री रोकने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लापरवाही दिखा रहे हैं। अदालत का मानना था कि सभी हितधारक यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को हानि पहुंचाने वाली कोई भी सामग्री प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से उपलब्ध न हो सके। यह सामग्री न अवैधता की जाए और न ही उसे प्रोत्साहन दिया जाए। कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जतायी कि मध्यस्थ व सोशल मीडिया मंचों ने वर्ष 2024 में जारी किए गए कोर्ट के निर्देशों का ईमानदारी से पालन नहीं किया। साथ ही पीठ को मानना था कि आज उच्च शिक्षा, सूचना और सामाजिक भागीदारी का एक सशक्त माध्यम बना है। ऐसे में यदि प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वे निष्प्रभावी होंगे, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। इसका नुकसान यह हो सकता है कि बच्चे ऐसी ऑनलाइन जगहों को सर्च करना शुरू कर सकते हैं, जो नियम-कानून कम होने की वजह से ज्यादा घातक हो सकती हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि उसकी टिप्पणी का यह अर्थ नहीं निकाला जाए कि उम्र के आधार पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पीठ के मुताबिक—हमारी धारणा है कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिये कुछ सुरक्षा उपाय होने जरूरी हैं। अभिभावकों के पास उपलब्ध सामग्री की निगरानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जिसमें माता-पिता के मार्गदर्शन, सहमति और निगरानी में बच्चे सोशल मीडिया मंचों का उपयोग कर सकें।

अभियान

शारदीय नवरात्रि की महानवमी भारतीय सनातन परंपरा में शक्ति, साधना और आत्मबोध का विशिष्ट पर्व है। यह नौ दिनों तक चलने वाली देवी आराधना का समापन मात्र नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें मनुष्य अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने और जीवन को अधिक सार्थक बनाने का संकल्प लेता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप अपने भीतर एक विशिष्ट आध्यात्मिक संदेश समेटे हुए है। इस क्रम में नवें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है, जिन्हें साधना, सिद्धि और पूर्णता की देवी माना जाता है। उनकी उपासना मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने, इच्छाओं को संयमित रखने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता में भी निहित है। भारतीय संस्कृति में देवी की उपासना का उद्देश्य केवल सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक अर्थ जीवन में ऐसी चेतना का विकास करना है, जो मनुष्य को भय से निरन्तर, भ्रम से स्पष्टता और दुर्बलता से आत्मविश्वास की ओर ले जाए। जब मनुष्य अपने भीतर की कमजोरियों

क्या कभी आत्मदैन्य से मुक्त हो सकेंगे हम?

लंबे समय की गुलामी ने हमें आत्मदैन्य और आत्महीनता की ओर ढकेल दिया। भारतीय समाज के अपने पारंपरिक मूल्यों को छोड़कर हम शासक वर्गों द्वारा थोपी जा रही संस्कृति का अनुगमन करने लगे। हमें लगा हमारे अंग्रेज शासक, उनकी भाषा, पहनावा और उनकी संस्कृति-पंथ सबकुछ हमसे बेहतर है।

प्रेरणा

मनुष्य का जीवन केवल उसकी इच्छाओं और सपनों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आकार लेता है। विचारों से जन्म लेने वाले कर्म धीरे-धीरे उसके स्वभाव, चरित्र और भविष्य की दिशा तय करते हैं। जीवन में कभी सफलता मिलती है, तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। कभी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो कभी बिना अधिक प्रयास के किसी व्यक्ति को बड़ी उपलब्धि मिल जाती है। ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न पैदा करती हैं। क्या अच्छे कर्म करने वाले को हमेशा सुख मिलता है? क्या गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जीवनभर लाभ उठाता रहता है? क्या कर्मों का फल तुरंत मिलता है या उसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है? भारतीय दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर कर्म की महता और उसके दूरगामी प्रभावों में मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मनुष्य को अपने कर्म करते समय उनके परिणामों के प्रति सजग रहना चाहिए। केवल लाभ प्राप्त करने की इच्छा से किया गया कार्य हमेशा कल्याणकारी नहीं होता। इसके विपरीत, निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा-सा अच्छा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कर्मों का प्रभाव केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य की सोच, उसके संबंधों और उसके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। इसी सत्य को समझाने के लिए भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद का एक प्रेरक प्रसंग सुनाया जाता है। एक दिन अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से पूछा, “हे

महानवमी का आध्यात्मिक संदेश: आत्मचेतना से आत्मसिद्धि तक की यात्रा

को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, तभी उसकी साधना वास्तविक अर्थ प्राप्त करती है। महानवमी इसी आंतरिक परिवर्तन की प्रेरणा देती है। यह पर्व बताता है कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और सदाचार से होकर गुजरता है। नौ दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री का स्वरूप विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वे अपने भक्तों को सिद्धियों का प्रदान करती हैं। सिद्धि का सामान्य अर्थ प्राप्ति से है, जबकि आध्यात्मिक संदर्भ में इसका आशय आत्मबोध, विवेक, एकाग्रता और जीवन के उद्देश्य को समझने की क्षमता से भी जोड़ा जा सकता है। मां सिद्धिदात्री को सामान्यतः कमल पर विराजमान चतुर्भुजी देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभापित होते हैं। उनका यह स्वरूप शक्ति, धर्म, अनुशासन और पवित्रता के विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करता है। यह प्रतीकात्मक संदेश देता है कि मनुष्य की उपलब्धियां तभी सार्थक होती हैं, जब उनके साथ विवेक, संतुलन और विनम्रता भी बनी रहे। सनातन धर्म की आध्यात्मिक परंपरा में ज्ञान को केवल सूचनाओं का संग्रह

कोई भी राष्ट्र जिस स्थिति में होता है, उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होता है। जापानी जैसे हैं ,उनका देश वैसा ही है। इसी तरह की बात इजरायल, चीन और ईरान या किसी भी देश के बारे में हो सकती है। भारत भी वैसा ही है, जैसे हम हैं! ऐसे में कभी विदेशी आक्रांताओं,कभी मैकाले और कभी अपनी आजादी के बाद सत्ता में आए नायकों को कोसते हुए हम अपने कर्तव्यबोध से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों की सामूहिक चेतना के आधार पर विकसित होता है। उसका इतिहासबोध, संस्कृतिबोध, मित्रबोध और शत्रुबोध मिलकर उसका निर्माण करते हैं। इनसे ही राष्ट्रीय सत्ता या राष्ट्रीय भाव बनता है।लंबे समय की गुलामी ने हमें आत्मदैन्य और आत्महीनता की ओर ढकेल दिया। भारतीय समाज के अपने पारंपरिक मूल्यों को छोड़कर हम शासक वर्गों द्वारा थोपी जा रही संस्कृति का अनुगमन करने लगे। हमें लगा हमारे अंग्रेज शासक, उनकी भाषा, पहनावा और उनकी संस्कृति-पंथ सबकुछ हमसे बेहतर है। उनके अनुयायी बनकर ही हमारी मुक्ति है। तत्कालीन समाज के श्रेष्ठ जन भी ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटते थे और खुद को आधा-अधूरा अंग्रेज साबित करने में जुट जाते थे।ऐसे में शेष समाज अपने श्रेष्ठ वर्ग का आचरण देख वैसा ही बनने का प्रयास करने लगा। देश में तमाम सर, रायबहादुर और साहेब बहादुर हमारे आदर्श बन गए। स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविन्द, महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी, भारतेन्दु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय,रवीन्द्र

जैसे कर्म, वैसा जीवन: समय सबका हिसाब करता है

माया व मेरे मन में एक प्रश्न बार-बार उठता है। संसार में कुछ लोग दूसरों का भला करते हैं, फिर भी उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर, कुछ लोग छल-कपट और स्वार्थ का सहारा लेकर सुख-सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। यह कर्मों का फल मिलता है, तो फिर जीवन में ऐसा अंतर क्यों दिखाई देता है? क्या मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम इसी जीवन में मिलता है या इसके लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है?” श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, “हे पार्थ! जीवन में प्रत्येक कर्म का अपना महत्व होता है। उसका परिणाम कब और किस रूप में सामने आएगा, यह अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत दिखाई देता है, कुछ का प्रभाव धीरे-धीरे प्रकट होता है और कुछ के परिणाम को समझने के लिए लंबा समय चाहिए। इसलिए केवल वर्तमान स्थिति देखकर किसी के कर्मों का अंतिम मूल्यंकन नहीं करना चाहिए। कर्म का वास्तविक महत्व उसके पीछे छिपी भावना, उद्देश्य और उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव में है।” इसके बाद श्रीकृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक गांव में दो यात्री रात के समय एक सुनसान मार्ग से गुजर रहे थे। रास्ता लंबा था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। कहीं पथर पड़े थे, कहीं जमीन ऊबड़-खाबड़ थी और कुछ स्थानों पर गहरे गड्ढे थे। पहले यात्री के हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। वह उसकी रोशनी में रास्ता देखकर उसका प्रभाव देख सकत थे आगे बढ़ रहा था। दीपक के प्रभाव

से पीछे आने वाले यात्रियों को भी मार्ग दिखाई दे रहा था, जिससे उनकी यात्रा सुरक्षित हो रही थी। दूसरे यात्री ने यह देखकर उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, “तुम इस छोटे-से दीपक को संभालने में अपना समय और ऊर्जा खर्च कर रहे हो? रात का अंधेरा इतना घना है कि कुछ दूर तक ही दिखाई देता है। बेहतर होगा कि तुम भी दीपक बुझा दो और बिना किसी चिंता के चलते रहो।” पहले यात्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, “भले ही इस दीपक की रोशनी सीमित है, लेकिन यह मुझे अगला कदम सावधानी से रखने में सहायता करती है। यदि मैं इसे बुझा दूंगा, तो रास्ते की बाधाएं दिखाई नहीं देंगी। इसकी रोशनी मेरे साथ चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी उपयोगी है।” लेकिन दूसरे यात्री ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने हाथ का दीपक बुझा दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर उसका पैर एक गहरे गड्ढे में पड़ गया। वह गिरकर घायल हो गया और उसे सहायता की आवश्यकता पड़ने लगी। दूसरी ओर, दीपक लेकर चल रहा यात्री रास्ते की बाधाओं को देखकर आगे बढ़ता रहा और सुरक्षित स्थान तक पहुंच गया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, “हे पार्थ! मनुष्य के कर्म भी इसी दीपक के समान हैं। सद्कर्म जीवन में विवेक और सही दिशा का प्रकाश देते हैं। सत्य बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, जरूरतमंद की सहायता करना और दूसरों के प्रति करुणा रखना ऐसे गुण हैं, जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। इनसे उत्पन्न विश्वास और सद्भाव का लाभ केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार

का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं और लाभ मिल रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने के लिए इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि कर्म करते समय केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि उसके निर्णय से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

जुड़ा है। धार्मिक परंपरा में महिषासुर का वध अधर्म पर धर्म और अन्याय पर शक्ति की विजय का प्रतीक है। इस आख्यान की आध्यात्मिक व्याख्या मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष से भी की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियां मौजूद रहती हैं। दया, सत्य, धैर्य और सेवा जैसे गुण जीवन को संतुलित बनाते हैं, जबकि अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अनियंत्रित इच्छाएं विवेक को कमजोर कर सकती हैं। जब मनुष्य इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रभाव में निर्णय लेने लगता है, तो उसके संबंधों, व्यवहार और मानसिक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आंतरिक विजय का पहला कदम अपने दोषों को पहचानना है। अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करना आसान नहीं होता। अक्सर मनुष्य दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेता है, लेकिन अपनी कमियों को उचित ठहराने लगता है। वह अपने क्रोध को स्वाभिमान, अपने अहंकार को आत्मविश्वास और अपने स्वार्थ को व्यवहारिकता का नाम दे देता है। ऐसी स्थिति में आत्मनिरीक्षण का महत्व और बढ़ जाता है। महानवमी हमें प्रेरित करती है कि हम स्वयं से प्रश्न करें कि क्या हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण है, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों



नाथ टैगोर के बहुत गहरे भारतबोध की प्रज्ञा ने हमें संभाला ,वरना हमारी दास्तां भी न होती दास्तानों में। हमारी हस्ती मिटने से कोई रोक नहीं सकता था। औसत भारतीय का आचरण अंग्रेजी शासनकाल में कैसा था, कहने की जरूरत नहीं है। हम कोहिनूर को छोड़कर कांच की ओर दौड़ रहे थे। अंग्रेजी भाषा और संस्कृति श्रेष्ठता की परिचायक बन गई। जब तक अपना कोई व्यक्ति या कार्य पश्चिम में स्थापित न हो जाए, उसे हम श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजी शासन और उसके बाद के आजादी के साल भी आत्मगौरव के अभाव में गुनरे सत्ता बनकर रह गए। सत्ता के आतंक और सत्ता से जुड़े रहने के आकर्षण से हमने 'अपने जीवन मूल्यों का सनातन सिद्ध राजमार्ग' छोड़कर 'अंग्रेजियत की पगडंडियों' पर चलना प्रारंभ कर दिया, जो हमारा देखा-परखा रास्ता नहीं था। जाहिर है इस मार्ग पर हम नेतृत्वकर्ता नहीं, अनुगामी ही बन सकते थे। हमारे

एकत्व को चोटिल करने के सचेतन प्रयास प्रारंभ हुए। भारतीय शिक्षा पद्धति को अंग्रेजी राज में कैसे नष्ट किया गया, इसे धर्मपाल जी को पढ़कर ही समझ में आएगा। 'स्व' के स्थान पर 'परकीय' विचारों की स्थापना के प्रयास खूब चले। हम एक 'राष्ट्र' नहीं हैं, बताया गया। अनेक स्थानीयताओं को राष्ट्रीयता के बरक्स स्थापित करने के अकादमिक प्रयास भी खूब चले, सफल भी हुए। कैसे और कितने विभाजन गढ़े जा सकते हैं, सारा जोर इसी पर खोज रहा है। अपनी जड़ों की तरफ वापसी करना चाहता है। जिसे 'विचारों की घर वापसी' कहकर संबोधित किया गया। जरूरी है कि भारत प्रेमी बौद्धिक वर्ग सत्य के सूर्य की स्थापना करने

के लिए अध्यवसाय में जुट जाए। सिर्फ भावनात्मक प्रवचनों, कार्यक्रमों से आगे बढ़कर भ्रमों के निवारण का जतन करे। ऐसे कुशल बौद्धिक योद्धा ही अपनी ज्ञान परंपरा को सामने लाकर तथ्य, प्रमाणों के साथ उनकी युगानुकूल व्याख्या करेंगे। इसके लिए हमें लोकसंग्रही और विनम्र बनना पहली शर्त है। परंपरा,जीवन पद्धति और परिवार पर छाप संकटों के बीच ये प्रयत्न ही हमें आत्मशक्ति देंगे। दुनिया भर में चल रहे सभ्यतागत संघर्ष के बीच भारत को अपनी वृहततर भूमिका का निर्वहन करना है, क्योंकि हमारे पास दुनिया को देने के लिए समावेशी विचार हैं। जहां साझापन सौंदर्य की तरह है, विविधता और बहुलता का यहां उत्सव मनाया जाता है। हम पूजा में भी अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। बहुलतावादी समाज होने कारण हमने मतभिन्नता का सदैव स्वागत किया। इसका उदाहरण हमारी 'शास्त्रार्थ' परंपरा है। इसलिए "एक किताब,एक विचार, एक देवता " के मानने और दूसरे विचार को समाप्त करने को आतुर विचार भारत को नहीं समझ सकता। जहां दुनिया के हर पंथ के लोग नैसर्गिक सहजता से सांस ले सकते हैं। यहां कोई श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं है। सब समान रूप से इस धरती मां की संतानें हैं। ऐसे में भारत केंद्रित विमर्श ही विश्व शांति का मार्ग है। 'स्वत्व' ही मार्ग है, जिस पर चलने के लिए हमें महात्मा गांधी, धर्मपाल, सीताराम गोयल, दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र का अध्ययन मदद कर सकता है। इससे भारत के मूल विचार को समझने तथा भारत का मौलिक चिंतन स्थापित करने

के लिए हमें आत्मचिंतन, साधना, संस्कार और जीवन-परिवर्तन का माध्यम बनाया है। यहां प्रत्येक पर्व अपने भीतर कोई न कोई शाश्वत संदेश समेटे हुए है। दशहरा अथवा विजयादशमी ऐसा ही प्रेरणाप्रद पर्व है, जो भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों, आध्यात्मिक परंपराओं और जीवन-दर्शन से जुड़कर मनुष्य को सत्य, साहस, सदाचार और आत्मविजय की राह दिखाता है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि जीवन की वास्तविक विजय दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर विद्यमान दुर्बलताओं, विकारों और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने में है। असत्य पर सत्य, अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अधर्म पर धर्म की विजय का यह उत्सव भारतीय जनमानस में सदियों से नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया संकल्प भरता आया है।दशरहे की सांस्कृतिक चेतना का सबसे प्रभावशाली आधार भगवान् श्रीराम की रावण पर विजय है। रामायण का यह प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक अथवा पौराणिक युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और अहंकार के बीच संघर्ष का शाश्वत आख्यान है। श्रीराम मर्यादा, करुणा, सत्य, कर्तव्य और धर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं, जबकि रावण ज्ञान, सामर्थ्य और वैभव से संपन्न होने के बावजूद अहंकार, अनियंत्रित इच्छाओं और अनैतिक आचरण का प्रतीक बन जाता है। रावण का व्यक्तित्व इस सत्य को उजागर करता है कि ज्ञान यदि विवेक से, शक्ति यदि मर्यादा से और समृद्धि यदि नैतिकता से विमुक्त हो जाए, तो मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। श्रीराम की विजय इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों का परिचालन नहीं किया। दशहरा हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः अपनी आस्था और इतिहास की प्रेरणा बनता है। भारतीय संस्कृति में दशरहे का संबंध केवल अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। इन धार्मिक विधियों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन इनके साथ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति नौ दिनों तक पूजा-अर्चना करे, लेकिन उसके बाद भी दूसरों के प्रति कटुता रखे, असत्य बोले या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे, तो उसे अपनी साधना के उद्देश्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। उपासना का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मसंयम है। इसका अर्थ इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें विवेक के अनुसार दिशा देना है। क्रोध, आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन क्रोध को अनियंत्रित व्यवहार करने से स्वयं को रोकना साधना का हिस्सा है। इसी प्रकार, सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना और असफलता के समय धैर्य नहीं खोना भी आंतरिक शक्ति के संकेत हैं। महानवमी के बाद विजयादशमी का पर्व आता है, जिसे विजय, धर्म की स्थापना और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है।

में मदद मिलती है। इससे ही गलत बातों का खंडन करते हुए हम सही विमर्श की स्थापना में सफल हो पाएंगे। देसीउत्पाद खोजें भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों के आधार पर संपूर्ण विश्व के लिए हमें ही वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व देना होगा। जिसकी एक झलक हमें स्वामी विवेकानंद में दिखती है। ऐसे में 'स्वबोध' का जागरण ही विकल्प है। पहले हमारे अपने विचार को भारत तो स्वीकार करे। वह आत्मदैन्य से मुक्त होकर 'भारत' को 'भारत' (इंडिया नहीं) की नजर से देखना प्रारंभ करे। वैचारिक साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए कई स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसे इस तरह से समझिए कि गोरा बनाना और अंग्रेजी सिखाना आज भी हिंदुस्तान में दो सबसे बड़े व्यापार हैं। यही उपनिवेशवादी मानसिकता है। इसके चलते ही हमारे गांव उजड़ते चले गए और संयुक्त परिवार बिखर गए। आज एकल परिवारों के नाते अलग तरह के सामाजिक-सांस्कृतिक संकट हमारे सामने हैं। जाति, भाषा, क्षेत्र,पंथ की लड़ाइयों को छोड़कर भी बहुत सी विभाजनकारी बातें हर दिन आज भी खोजी जाती हैं। फिर आख्यान (नरैटिव) गढ़े जाते हैं। भारत जिसे कभी 'इंडिया' बनाने की कोशिशें हुईं, उसे भारत बनाए रखने के लिए हमें ही आगे आना होगा। क्योंकि भारत का नष्ट होना, उस विचार का मिट जाना होगा, जिसने हमें "वसुधैव कुटुम्बकम्" का संदेश दिया। जिसने हमें राम, कृष्ण,शिव, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जैसे नायक दिए। जिसने "सर्वे भवन्तु सुखिनः" में अपनी मुक्ति देखी और लोक-मंगल जिसका मूलमंत्र रहा।

दशहरा: शौर्य, साधना एवं नवसंकल्प का महापर्व

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने जीवन के उत्सवों को केवल आनंद और उल्लास तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें आत्मचिंतन, साधना, संस्कार और जीवन-परिवर्तन का माध्यम बनाया है। यहां प्रत्येक पर्व अपने भीतर कोई न कोई शाश्वत संदेश समेटे हुए है। दशहरा अथवा विजयादशमी ऐसा ही प्रेरणाप्रद पर्व है, जो भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों, आध्यात्मिक परंपराओं और जीवन-दर्शन से जुड़कर मनुष्य को सत्य, साहस, सदाचार और आत्मविजय की राह दिखाता है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि जीवन की वास्तविक विजय दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर विद्यमान दुर्बलताओं, विकारों और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने में है। असत्य पर सत्य, अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अधर्म पर धर्म की विजय का यह उत्सव भारतीय जनमानस में सदियों से नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया संकल्प भरता आया है।दशरहे की सांस्कृतिक चेतना का सबसे प्रभावशाली आधार भगवान् श्रीराम की रावण पर विजय है। रामायण का यह प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक अथवा पौराणिक युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और अहंकार के बीच संघर्ष का शाश्वत आख्यान है। श्रीराम मर्यादा, करुणा, सत्य, कर्तव्य और धर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं, जबकि रावण ज्ञान, सामर्थ्य और वैभव से संपन्न होने के बावजूद अहंकार, अनियंत्रित इच्छाओं और अनैतिक आचरण का प्रतीक बन जाता है। रावण का व्यक्तित्व इस सत्य को उजागर करता है कि ज्ञान यदि विवेक से, शक्ति यदि मर्यादा से और समृद्धि यदि नैतिकता से विमुक्त हो जाए, तो मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। श्रीराम की विजय इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों का परिचालन नहीं किया। दशहरा हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः अपनी आस्था और इतिहास की प्रेरणा बनता है। भारतीय संस्कृति में दशरहे का संबंध केवल अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। इन धार्मिक विधियों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन इनके साथ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति नौ दिनों तक पूजा-अर्चना करे, लेकिन उसके बाद भी दूसरों के प्रति कटुता रखे, असत्य बोले या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे, तो उसे अपनी साधना के उद्देश्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। उपासना का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मसंयम है। इसका अर्थ इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें विवेक के अनुसार दिशा देना है। क्रोध, आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन क्रोध को अनियंत्रित व्यवहार करने से स्वयं को रोकना साधना का हिस्सा है। इसी प्रकार, सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना और असफलता के समय धैर्य नहीं खोना भी आंतरिक शक्ति के संकेत हैं। महानवमी के बाद विजयादशमी का पर्व आता है, जिसे विजय, धर्म की स्थापना और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है।

गहरा है। बाहरी रावण का दहन तभी सार्थक है, जब मनुष्य अपने भीतर बैठे रावण को पहचानने और पराजित करने का साहस जुटाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मस्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसी प्रवृत्तियां मनुष्य के व्यक्तित्व को भीतर से दुर्बल बनाती हैं। रावण के दस सिरों को इन दस विकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रतिक्रियें रावण के पुतले जलते हैं, आतिशबाजी होती है और उत्सव संपन्न हो जाता है, लेकिन यदि हमारे भीतर ईर्ष्या, छल, स्वार्थ, द्वेष और अहंकार जीवित रहें, तो विजयादशमी का मूल उद्देश्य अपूर्ण रह जाता है। इसका दशहरा वह है, जब हम किसी के प्रति अपने मन में पल रहे द्वेष को समाप्त करें, अपने व्यवहार से छल को निकास दें, आतिशबाजी को सत्य कर्तव्यों के स्वीकारों और अपनी सफलता में दूसरों के योगदान को भी सम्मान दें। आत्मविजय ही सभी विजयों का आधार है। भारतीय संस्कृति उत्सव को साधना और साधना को जीवन की श्रेष्ठता से जोड़ती है। विजयादशमी इसी परंपरा का जीवंत उदाहरण है। इस दिन शशकपूजा की जाती है, नृप काया का शुभारंभ होता है और विजय की कामना के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया जाता है। शशकपूजा का वास्तविक अर्थ केवल अस्त्रों की आराधना नहीं, बल्कि शक्ति के प्रति श्रद्धा और उसके उत्तरदायी उपयोग का संकल्प है। आज के संदर्भ में अहंकार, अनियंत्रित इच्छाओं और अनैतिक आचरण का प्रतीक बन जाता है। रावण का व्यक्तित्व इस सत्य को उजागर करता है कि ज्ञान यदि विवेक से, शक्ति यदि मर्यादा से और समृद्धि यदि नैतिकता से विमुक्त हो जाए, तो मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। श्रीराम की विजय इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों का परिचालन नहीं किया। दशहरा हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः अपनी आस्था और इतिहास की प्रेरणा बनता है। भारतीय संस्कृति में दशरहे का संबंध केवल अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। इन धार्मिक विधियों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन इनके साथ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति नौ दिनों तक पूजा-अर्चना करे, लेकिन उसके बाद भी दूसरों के प्रति कटुता रखे, असत्य बोले या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे, तो उसे अपनी साधना के उद्देश्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। उपासना का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मसंयम है। इसका अर्थ इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें विवेक के अनुसार दिशा देना है। क्रोध, आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन क्रोध को अनियंत्रित व्यवहार करने से स्वयं को रोकना साधना का हिस्सा है। इसी प्रकार, सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना और असफलता के समय धैर्य नहीं खोना भी आंतरिक शक्ति के संकेत हैं। महानवमी के बाद विजयादशमी का पर्व आता है, जिसे विजय, धर्म की स्थापना और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है।

रांची में 11वीं की छात्रा की हत्या से सनसनी, झाड़ियों में मिला शव; चचेरा भाई गिरफ्तार

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के सिल्ली क्षेत्र में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली करीब 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। किशोरी का शव गांव के बाहर झाड़ियों के पीछे मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएएसएल) तथा डॉग स्क्वायड की टीम को मौके पर बुलाया। जांच के दौरान संदेह के आधार पर पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतका के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और इसमें आरोपी की कथित भूमिका क्या रही, इसकी पड़ताल की जा रही है। वहीं, किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मामला रांची जिले के सिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत मुरी ओपी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, किशोरी रविवार को अपने छोटे भाई के साथ किसी काम से घर से बाहर जाने की बात कहकर

निकली थी। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। काफी समय बीतने के बाद भी जब किशोरी का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाकों में उसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। इसी दौरान गांव के बाहर झाड़ियों के पीछे उसका शव बरामद हुआ। किशोरी का शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास जुटने लगे।

घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही मुरी ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। किशोरी की मौत की परिस्थितियों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से जुड़े तथ्यों को सुरक्षित रखने और संभावित साक्ष्य जुटाने के लिए एफएएसएल की टीम को बुलाया गया। इसके साथ ही डॉग स्क्वायड की मदद भी ली गई, ताकि जांच में उपलब्ध सुरागों के आधार पर घटनाक्रम को समझने में सहायता मिल



सके। पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह पता लगाना है कि किशोरी घर से

निकलने के बाद किन परिस्थितियों में गांव के बाहर पहुंची। वह किस काम से निकली थी, रास्ते में उसके साथ कौन

था और उसकी मौत कब तथा कैसे हुई, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और

परिजनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। किशोरी के शव का पोस्टमार्टम भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उससे मौत के कारण और अन्य परिस्थितियों के संबंध में आवश्यक चिकित्सकीय जानकारी मिल सकेगी। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका के एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने किशोरी के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच और पूछताछ के जरिए आरोपी की कथित भूमिका तथा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, गिरफ्तारी को मामले की जांच का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन हत्या के पीछे का वास्तविक कारण और पूरी घटना का घटनाक्रम के जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की विभिन्न कड़ियों की पड़ताल कर रही है। इस घटना में दुष्कर्म की आशंका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। किशोरी की हत्या से जुड़े घटनाक्रम में यौन

हिंसा की संभावना की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से दुष्कर्म की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए चिकित्सकीय रिपोर्ट सामने आने से पहले इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। पुलिस भी मामले के इस पहलू की जांच कर रही है और रिपोर्ट तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

करीब 17 वर्षीय किशोरी की इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस किशोरी के घर से निकलने के बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, उसका शव गांव के बाहर मिलने से परिवार सदमे में है। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर चिंता और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा है और लोग मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र की महानवमी के दिन सामने आई इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए

हैं। हालांकि, घटना के धार्मिक पर्व के दिन सामने आने और उसके वास्तविक कारणों के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का ध्यान फिलहाल हत्या की परिस्थितियों का पता लगाने, घटनास्थल में मिले साक्ष्यों की जांच करने और आरोपी की कथित भूमिका को स्पष्ट करने पर है। एफएसएल की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के निष्कर्ष और पूछताछ से प्राप्त जानकारी जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

फिलहाल मुरी ओपी पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किशोरी की हत्या किस वजह से की गई, घटना को अंजाम देने की परिस्थितियां क्या थीं और इसमें गिरफ्तार आरोपी की भूमिका किस प्रकार की थी। साथ ही दुष्कर्म की आशंका की भी जांच की जा रही है, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद मामले से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार, जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दशहरे पर शेरार बाजार में आज कारोबार बंद, कई राज्यों में बैंक भी रहेंगे बंद

नई दिल्ली। दशहरे के अवसर पर मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को देश के प्रमुख शेरार बाजारों में कारोबार नहीं होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में इस दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसके चलते इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और अन्य संबंधित बाजार खंडों में नियमित कारोबार बंद रहेगा। वहीं, देश के कई राज्यों में दशहरे के अवसर पर बैंक शाखाएं भी बंद रहेंगी। ऐसे में निवेशकों, कारोबारियों और बैंक ग्राहकों को अपने जरूरी वित्तीय कार्यों की योजना पहले से बनाने की जरूरत होगी। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से अधिकांश सामान्य बैंकिंग कार्य किए जा सकेंगे। अक्टूबर महीने में इससे पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भी शेरार बाजार बंद रहा था। वर्ष 2026 के लिए शेरार बाजार में कुल 16 कारोबारी अवकाश निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कई छुट्टियां बीत चुकी हैं, जबकि दशहरे के बाद इस वर्ष तीन और प्रमुख अवसरों पर बाजार में शेरार बाजार नहीं होगा। एनएसई और बीएसई की छुट्टियों की जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार बंद रहने के दौरान सामान्य ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। इसके अलावा छुट्टियों के आसपास आने वाले सप्ताहांत के कारण कारोबार के दिनों की संख्या भी प्रभावित

होती है। दशहरे के बाद इस वर्ष 10 नवंबर को दिवाली-बलीप्रतिपदा, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर शेरार बाजार में अवकाश रहेगा। क्रिसमस शुक्रवार को पड़ रहा है, जिसके बाद शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस तरह निवेशकों को लगातार तीन दिन बाजार में नियमित कारोबार नहीं मिलेगा। ऐसे में शेरार बाजार में सक्रिय निवेशकों को अपनी ट्रेडिंग रणनीति, सौदों और अन्य वित्तीय कार्यों की योजना कारोबारी कैलेंडर को ध्यान में रखकर बनानी होगी।

इस वर्ष दिवाली लक्ष्मी पूजन 8 नवंबर परंपरागत रूप से मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाती है। यह विशेष कारोबारी सत्र नए संवत की शुरुआत से जुड़ा माना जाता है और अनेक निवेशक इस श्रृंखला अवसर को देखते हैं। एनएसई और बीएसई की छुट्टियों की जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार बंद रहने के दौरान सामान्य ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। इसके अलावा छुट्टियों के आसपास आने वाले सप्ताहांत के कारण कारोबार के दिनों की संख्या भी प्रभावित

वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि, ईद-उल-फ़ितर और स्वतंत्रता दिवस जैसे कुछ प्रमुख अवसर शनिवार या रविवार को पड़ें हैं। इन दिनों सामान्य साप्ताहिक अवकाश होने के कारण शेरार बाजार में अलग से कारोबारी अवकाश रहेगा। क्रिसमस शुक्रवार को पड़ रहा है, जिसके बाद शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस तरह निवेशकों को लगातार तीन दिन बाजार में नियमित कारोबार नहीं मिलेगा। ऐसे में शेरार बाजार में सक्रिय निवेशकों को अपनी ट्रेडिंग रणनीति, सौदों और अन्य वित्तीय कार्यों की योजना कारोबारी कैलेंडर को ध्यान में रखकर बनानी होगी। इस वर्ष दिवाली लक्ष्मी पूजन 8 नवंबर परंपरागत रूप से मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाती है। यह विशेष कारोबारी सत्र नए संवत की शुरुआत से जुड़ा माना जाता है और अनेक निवेशक इस श्रृंखला अवसर को देखते हैं। एनएसई और बीएसई की छुट्टियों की जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार बंद रहने के दौरान सामान्य ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। इसके अलावा छुट्टियों के आसपास आने वाले सप्ताहांत के कारण कारोबार के दिनों की संख्या भी प्रभावित

बाजार के प्रतिभागियों को संबंधित एक्सचेंज की समय-सारणी के अनुसार अपनी गतिविधियां तय करनी होंगी। बैंकिंग सेवाओं की बात करें तो दशहरे पर कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। छुट्टी की आवश्यकता नहीं रही। शेरार बाजार का अवकाश कैलेंडर निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि वर्ष निवेशकों को लगातार तीन दिन बाजार में नियमित कारोबार नहीं मिलेगा। ऐसे में शेरार बाजार में सक्रिय निवेशकों को अपनी ट्रेडिंग रणनीति, सौदों और अन्य वित्तीय कार्यों की योजना कारोबारी कैलेंडर को ध्यान में रखकर बनानी होगी। इस वर्ष दिवाली लक्ष्मी पूजन 8 नवंबर परंपरागत रूप से मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाती है। यह विशेष कारोबारी सत्र नए संवत की शुरुआत से जुड़ा माना जाता है और अनेक निवेशक इस श्रृंखला अवसर को देखते हैं। एनएसई और बीएसई की छुट्टियों की जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार बंद रहने के दौरान सामान्य ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। इसके अलावा छुट्टियों के आसपास आने वाले सप्ताहांत के कारण कारोबार के दिनों की संख्या भी प्रभावित

सूत। शहर के न्यू सिविल अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में न्यूरोलॉजी विभाग में ईईजी जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का आकलन करने वाली यह जांच अस्पताल में मुफ्त कराई जा सकेगी। इसके साथ ही एनसीवी जांच भी निशुल्क उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। निजी अस्पतालों में इन जांचों के लिए मरीजों को हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल में मुफ्त सुविधा मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य आय वर्ग के मरीजों को राहत मिलेगी। साथ ही मस्तिष्क और नसों से संबंधित बीमारियों की पहचान तथा उपचार की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजी अस्पतालों में ईईजी जांच के लिए लगभग चार से पांच हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं, एनसीवी जांच की लागत करीब तीन से चार हजार रुपये बताई गई है। न्यू सिविल अस्पताल में इन जांचों की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें जांच के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करने की जरूरत भी कम होगी। समय पर जांच हो पाने से चिकित्सकों को बीमारी की प्रकृति समझने और आगे के उपचार की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।



न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. हरेश पारेख की देखरेख में ईईजी जांच की सुविधा शुरू की गई है। अस्पताल की मेडिकल सुरजिस्टेंट डॉ. पारुल वडगामा के मार्गदर्शन में आरएमओ डॉ. लक्ष्मण ताहिलानी और किडनी बिल्डिंग के नोडल अधिकारी डॉ. चारुल चवड़ा के समन्वय से नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर ही आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि समय और धन दोनों की बचत हो सके। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एक ऐसी जांच है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर की त्वचा पर

विशेष इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इस जांच से पता लगाया जाता है कि नसों के माध्यम से विद्युत संकेत कितनी तेजी और किस प्रकार प्रवाहित हो रहे हैं। नसों में संकेतों के संचार में गड़बड़ी होने पर हाथ-पैरों में सुनपन, झनझनाट, कमजोरी या दर्द जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसे लक्षणों की जांच के दौरान एनसीवी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एनसीवी जांच का उपयोग न्यूरोपैथी, गुडलेन-वैबे सिंड्रोम (जीबीएस), क्रांनिक इन्फ्लेमेटरी डिमायलिनिटिंग पॉलीन्यूरोपैथी (सीआईडीपी) और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी नसों से संबंधित समस्याओं के आकलन में किया जाता है। जांच के परिणामों से डॉक्टरों को यह समझने में सहायता मिलती है कि नसों में संकेतों का प्रवाह सामान्य है या उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी है। इसके आधार पर आगे के उपचार और जरूरत पड़ने पर अन्य परीक्षणों की योजना बनाई जा सकती है। न्यू सिविल अस्पताल में ईईजी और एनसीवी जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध होने से न्यूरोलॉजी विभाग के मरीजों को एक ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक जांच कराने का विकल्प मिलेगा। इससे निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम करने और इलाज से जुड़े खर्च को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

ईईजी जांच के परिणामों को मरीज के लक्षणों और अन्य चिकित्सकीय जानकारीयों के साथ मिलाकर देखा जाता है। इससे डॉक्टरों को बीमारी की स्थिति का बेहतर आकलन करने और जरूरत के अनुसार आगे की जांच या उपचार तय करने में मदद मिलती है। हालांकि, केवल ईईजी के आधार पर हर बीमारी का निदान नहीं किया जाता, बल्कि चिकित्सक मरीज की पूरी स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर, एनसीवी यानी नव कंडक्शन वेलोसिटी जांच नसों की

गंगा का जलस्तर घटने से बियाड़ा घाट के पास फंसा मालवाहक जहाज, सात दिन से रेस्क्यू जारी

भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर घटने से बियाड़ा घाट के समीप एक बड़ा मालवाहक जहाज फिछले सात दिनों से फंसा हुआ है। पानी का स्तर कम होने के कारण जहाज का निचला हिस्सा नदी की रेत में धंस गया, जिससे उसका आगे बढ़ना और वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। जहाज में बड़ी मात्रा में माल नवा होने के कारण उसका जवाज भी अधिक है। ऐसे में चाकल दल की लगातार कोशिशों के बावजूद अब तक उसे सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जलमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की 89वें कालीबाड़ी दुर्गापूजा महोत्सव में भावपूर्ण उपस्थिति



गांधीनगर । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सोमवार रात अहमदाबाद में सिंधुधवन रोड पर बंगाल जहाज एग्रेसोसिशन द्वारा आयोजित 89वें कालीबाड़ी दुर्गापूजा महोत्सव में भावपूर्ण सहभागि हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर माँ दुर्गा की आरती उतारकर राज्य के लोगों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने दुर्गापूजा महोत्सव में सहभागि हुए बंगाली समुदाय के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उनका उत्साह बढ़ाया।

जलस्तर रहने पर मालवाहक जहाज निर्धारित जलमार्ग से गुजर सकते हैं, लेकिन पानी कम होने पर नदी की गहराई घट जाती है। ऐसी स्थिति में बड़े और भारी जहाजों के लिए खर्चकर निकालने की तैयारी की जा रही है। मालवाहक जहाज की आवाजाही प्रभावित हुई। नदी में पानी कम होने से जहाज का निचला हिस्सा रेत के संपर्क में आ गया और धीरे-धीरे उसमें धंस गया। इसके बाद जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिशें सफल नहीं हो सकीं। सामान्य परिस्थितियों में नदी में पर्याप्त



जहाज को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। एक सप्ताह से जारी कोशिशों के बावजूद जहाज अपनी जगह से निकल नहीं सका है। इसके बाद जलमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जहाज को निकालने के लिए वैकल्पिक उपायों का काम शुरू किया। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जहाज

को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के सुरक्षित बाहर निकालने की है। जहाज भारी होने के कारण उसे सीधे खींचकर निकालने में कठिनाई हो सकती है। यदि उसके निचले हिस्से के आसपास पर्याप्त जगह नहीं बनाई जाती, तो खींचने के दौरान जहाज को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रह सकती है। इसलिए आसपास जमा रेत को हटाने के लिए ड्रेजिंग की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। इसके तहत जहाज के निचले हिस्से के आसपास की रेत हटाकर उसके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। ड्रेजिंग के जरिए नदी की तलहटी से रेत

और अन्य जमा सामग्री हटाई जाती है, जिससे संबंधित हिस्से में पानी की गहराई बढ़ाने और जहाज के लिए पर्याप्त जगह बनाने में मदद मिल सकती है। बियाड़ा घाट के पास भी इस तकनीक का सहारा लेकर जहाज को रेत की पकड़ से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की योजना है कि जहाज के निचले हिस्से के आसपास की रेत हटाने के बाद उसे शक्तिशाली टाग बोट की सहायता से खींचा जाए। टाग बोट विशेष रूप से बड़े जहाजों को खींचने और उन्हें नियंत्रित दिशा में आगे बढ़ाने के काम आती है। हालांकि, इस अभियान की सफलता नदी की मौजूदा

स्थिति, जहाज के भार और उसके नीचे जमा रेत की मात्रा पर निर्भर करेगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि ड्रेजिंग का काम पूरा होने या जलस्तर में सुधार होने पर जहाज को अगले एक-दो दिनों में बाहर निकालने में सफलता मिल सकती है। हालांकि, यह समय अनुमान पर आधारित है और जहाज को निकालने की वास्तविक स्थिति अभियान की प्रगति पर निर्भर करेगी। फिलहाल प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि जहाज को किसी तरह का अतिरिक्त नुकसान न पहुंचे और उसे सुरक्षित तरीके से फिर से नौचन योग्य स्थिति में लाया जा सके। इसके लिए संबंधित

टीमों मौके पर प्रयास कर रही हैं। इस घटना ने गंगा नदी के इस हिस्से में बड़े मालवाहक जहाजों की आवाजाही को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। नदियों में जलस्तर का बदलना नौचन के सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब पानी तेजी से कम होता है, तो नदी की गहराई और तलहटी की स्थिति में बदलाव जहाजों के संचालन को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से भारी माल लेकर चलने वाले जहाजों के लिए पर्याप्त गहराई का होना जरूरी है। पानी कम होने पर जहाज का निचला हिस्सा रेत या नदी की तलहटी से टकरा सकता है, जिससे उसके फंसेना का खतरा बढ़ जाता है।

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के आरोपी की पहचान पर पेच, बेगूसराय में परिजनों ने फोटो पहचानने से किया इनकार

बेगूसराय। फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीन संदिग्धों में शामिल ऋतिक कुमार की पहचान को लेकर नया मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर बेगूसराय पुलिस ने आरोपी के बताए गए पते का सत्यापन किया, लेकिन वहां परिजनों ने पुलिस की ओर से दिखाई गई तस्वीर को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार, राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में ऋतिक कुमार नाम का एक युवक शामिल है, जिसका पता बिहार के बेगूसराय जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव का बताया गया है। जब स्थानीय पुलिस इस पते पर पहुंची, तो रामू महतो के परिवार से संपर्क हुआ। परिवार में 22 वर्षीय ऋतिक कुमार उर्फ रोशन का नाम सामने आया, लेकिन परिजनों ने तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। नाम, पिता का नाम और उम्र जैसी जानकारीयों के मेल खाने के बावजूद तस्वीर की पहचान नहीं हो पाने से पुलिस के सामने आरोपी की वास्तविक पहचान पता का नाम और उम्र जैसी जानकारीयां मेल खाने से पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन तस्वीर दिखाए जाने पर



परिजनों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस की ओर से दिखाई गई तस्वीर उनके बेटे ऋतिक से मेल नहीं खाती। परिवार ने स्पष्ट किया कि तस्वीर में दिखाई देने वाला व्यक्ति उनका बेटा नहीं है। इस दावे के बाद मामले में पहचान को लेकर असमंजस पैदा हो गया है। एक ओर गिरफ्तार संदिग्ध के नाम और पते की जानकारी स्थानीय परिवार से मेल खाती बताई जा रही है, तो दूसरी ओर परिवार तस्वीर के आधार पर पहचान स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे में केवल नाम और पते के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार आरोपी मान लेना उचित नहीं

होगा। पुलिस को अब अन्य दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए वास्तविक संबंध की पुष्टि करनी होगी। पिपरा गांव में रामू महतो नाश्ते और श्रृंगार की दुकान चलाते हैं। परिवार के मुताबिक, उनका बेटा ऋतिक पिछले कई महीनों से मुंबई में रह रहा है। हालांकि, वह वहां क्या काम करता है, इसकी स्पष्ट जानकारी परिवार के पास नहीं है। परिजनों ने यह भी बताया कि पिछले दो दिनों से ऋतिक का मोबाइल फोन बंद आ रहा है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बेटे का फोन बंद होने और मुंबई पुलिस की ओर से बताए गए आरोपी के पते के मेल खाने से मामला और उलझ गया है। इसके बावजूद परिवार का कहना है कि गिरफ्तार संदिग्ध की तस्वीर उनके बेटे की नहीं है।

परिजनों के सदस्यों के अनुसार, ऋतिक पिपरा गांव में रामू महतो नाश्ते और श्रृंगार की कुछ महीने पहले गांव आया था। उसके मामा ने भी बताया कि ऋतिक के मुंबई में रहने की जानकारी है, लेकिन पुलिस द्वारा दिखाई गई तस्वीर से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार मूल रूप से बदलपुर का रहने वाला है और पिपरा में दुकान चलाता है। उनके मुताबिक, ऋतिक करीब चार-पांच महीने पहले गांव आया था।

इसके बाद वह मुंबई चला गया। मुंबई में उसके काम और रोजमर्रा की गतिविधियों के संबंध में स्थानीय लोगों को भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। मामले में सबसे अहम तथ्य यह है कि गिरफ्तार संदिग्ध और गांव में रहने वाले ऋतिक कुमार के नाम-पते में समानता बताई जा रही है, लेकिन परिजन तस्वीर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति में पुलिस के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति और बेगूसराय के परिवार के युवक की पहचान वास्तव में होने और मुंबई पुलिस से उसकी पहचान का रहने वाला है और पिपरा में दुकान चलाता है। उनके मुताबिक, ऋतिक करीब चार-पांच महीने पहले गांव आया था।

मानने से पहले पहचान की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। परिजनों के इनकार के बाद पुलिस को मुंबई से मिली जानकारी और स्थानीय स्तर पर जुटाए गए तथ्यों का मिलान करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाना बाकी है कि गिरफ्तार संदिग्ध ने अपनी पहचान और पते के संबंध में क्या जानकारी दी थी तथा पुलिस के पास उसके पते को लेकर कौन से दस्तावेज उपलब्ध हैं। फिलहाल बेगूसराय पुलिस नाम-पते के सत्यापन और वास्तविक पहचान की पुष्टि करने में जुटी है। मुंबई पुलिस से प्राप्त जानकारी के साथ स्थानीय स्तर पर सामने आए तथ्यों का मिलान किया जा रहा है। ऋतिक का मोबाइल फोन दो दिनों से बंद होने की जानकारी भी परिवार की ओर से दी गई है, लेकिन अकेले इस तथ्य के आधार पर उसका गिरफ्तार संदिग्ध से संबंध साबित नहीं होता। जांच के निष्कर्ष और तकनीकी साक्ष्य सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कोटा से गिरफ्तार ऋतिक कुमार और पिपरा गांव के रामू महतो के बेटे ऋतिक कुमार उर्फ रोशन एक ही व्यक्ति हैं या नहीं। तब तक इस मामले में पहचान को लेकर बना असमंजस कायम है।

जापान के ओसाका में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय राउंडटेबल बैठक आयोजित हुई

गुजरात तथा जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और निवेश के नए अवसरों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई

गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अंतर्गत जापान यात्रा पर गए राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज ओसाका में जापान के अग्रणी उद्योगपतियों तथा निवेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय ‘इन्वेस्ट इन गुजरात’ राउंडटेबल बैठक आयोजित की। गुजरात तथा जापान के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने और परस्पर समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया।

राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वैश्विक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल की भूमि गुजरात की ओर से उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जापान उगते सूर्य का देश है और गुजरात उपरते अवसरों की भूमि है। भारत एवं जापान के बीच केवल व्यापारिक संबंध ही नहीं



हैं, बल्कि दोनों देश परस्पर विश्वास, सम्मान और मूल्यों के साथ-साथ साझा संस्कृति भी रखते हैं। दोनों देशों की मित्रता सदियों पुरानी है और आज हमारे सामने विकास के असीमित नए अवसर उपलब्ध हैं। गुजरात की आर्थिक क्षमता एवं औद्योगिक गतिशीलता के आँकड़े

प्रस्तुत करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि देश की केवल 5 प्रतिशत जनसंख्या वाला गुजरात भारत की जीडीपी में 8 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में गुजरात की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है, जबकि भारत के कुल

निर्यात का लगभग एक-तिहाई (1/3) निर्यात अकेले गुजरात से होता है। इसके अतिरिक्त; भारत के कुल कार्गो हैंडलिंग का 40 प्रतिशत हिस्सा गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होता है और राज्य की 65 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुजरात यानी ‘स्पीड, स्केल और स्टेबिलिटी’ में गुजरात में निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और नीतिर्यौ अत्यंत पारदर्शी एवं स्पष्ट हैं। गुजरात पूरे भारत का प्रवेश द्वार है और भारत दुनिया के लिए प्रवेश द्वार है।

जापान तथा गुजरात के बीच संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जोड़ा कि सुसुज्जी, बुलेट ट्रेन परियोजना और

भावनगर मंडल RPF की सतर्कता से अकेले यात्रा कर रहा नाबालिग बालक सुरक्षित GRP/जेललसर को सौंपा गया

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के सतर्क एवं संवेदनशील कर्मियों ने मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए अकेले यात्रा कर रहे एक नाबालिग बालक को सुरक्षित संरक्षण हेतु राजकीय रेलवे पुलिस (GRP), जेतलसर को सुपुर्द किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर, श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को सवारी गाड़ी संख्या 59424 (वेरावल-राजकोट) में एक नाबालिग बालक अकेला पाया गया। एक यात्री बालक को RPF पोस्ट, जेतलसर लेकर आया, जहाँ ड्यूटी पर तैनात ASI श्री दीपक मीना ने उससे पृष्ठताछ की। अमित गुप्ता, उम्र लगभग 12–13 वर्ष तथा निवासी बोईसर, महाराष्ट्र बताया। पृष्ठताछ के दौरान बालक ने बताया कि वह घर पर



बिना बताए ट्रेन में बैठकर यहाँ आ गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ASI श्री दीपक मीना ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा GRP/जेललसर को फोन के माध्यम से सूचित किया। चाइल्ड हेल्पलाइन से प्राप्त परामर्श के अनुसार, बालक की सुरक्षा, संरक्षण एवं बाल कल्याण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन मास्टर,

जेललसर की उपस्थिति में बालक को GRP/जेललसर के सुपुर्द किया गया, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। इस मानवीय कार्रवाई की सराहना करते हुए मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर, श्री दिनेश वर्मा ने RPF कर्मियों की सतर्कता, तत्परता एवं संवेदनशीलता की प्रशंसा की। मंडल सुरक्षा आयुक्त, भावनगर, श्री अजय शर्मा के मार्गदर्शन में भावनगर

उजाड़ पहाड़ों से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ तक : सूरत के बलेटी गाँव ने संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) क्षेत्र में रचा इतिहास

गाँव में 162 बायोगैस प्लांट तथा 04 चेकडैम बनाकर जंगल पर दबाव कम किया

गांधीनगर, 19 अक्टूबर : गुजरात में सूरत जिले की मांडवी तहसील के आदिवासी गाँव बलेटी ने जंगल संरक्षण तथा संयुक्त वन प्रबंधन (जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट - जेएफएम) क्षेत्र में एक अनूठा एवं प्रेरणादायी इतिहास रचा है। वर्ष 1986 से 1988 के दौरान लगातार तीन वर्षों के सूखे के कारण बलेटी गाँव के आसपास के जंगल पूरी तरह नष्ट हो गए थे। उस समय गाँव के बुजुर्ग श्री जागुदादा और श्री किशोरभाई चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्वयं अपने जंगल की रक्षा करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इस भागीरथ कार्य को बलेटी गाँव की वन पुनर्निर्माण एवं ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री विनयभाई किशोरभाई चौधरी तथा गाँववासी मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामजनों ने साथ मिलकर बलेटी गाँव के ऐतिहासिक विद्यालय भवन को पुर्नस्थापित कर उसे ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव वन विभाग के समक्ष रखा है, जिसे हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोहवाडिया तथा राज्य



मंत्री श्री प्रवीण माळी के मार्गदर्शन में शुरू करने का निर्णय किया गया है। आगामी समय में इस ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के कार्यरत होने से आगले 05 वर्षों में गुजरात की 3,414 जेएफएम समितियों में से 2,500 समितियों के लगभग 7,500 सदस्यों को बलेटी के अनुभवी ग्रामीणों द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा जाएगा। इस पहल से राज्य के अन्य गाँवों को भी हरित क्रांति की दिशा में काम करने की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन मिलेगा।

ये रहीं बलेटी मांडल की प्रमुख

विशेषताएँ :

► सुरक्षा और परहेदारी : गाँव के प्रत्येक घर से एक सदस्य शामिल हो; इस प्रकार 15 पेट्रोलिंग ट्िक डे य़ाँ बनाकर जंगल की चौकीदारी की गई।

► उत्पादों शुरू करने का निर्णय किया गया है। आगामी समय में इस ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के कार्यरत होने से आगले 05 वर्षों में गुजरात की 3,414 जेएफएम समितियों में से 2,500 समितियों के लगभग 7,500 सदस्यों को बलेटी के अनुभवी ग्रामीणों द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा जाएगा। इस पहल से राज्य के अन्य गाँवों को भी हरित क्रांति की दिशा में काम करने की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन मिलेगा।

► सहकारी मंडली : ‘वन पुनर्निर्माण एवं ग्राम विकास सहकारी मंडली लिमिटेड’ के रूप में पंजीकरण कराकर 229 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए ‘अधिकार पत्र’ प्राप्त किए गए।

का समान वितरण : संरक्षित जंगल से प्राप्त घास, लकड़ी, बाँस आदि उत्पाद सभी सदस्यों के बीच समान आधार पर वितरित किए गए।

► विकल्प और आजीविका : 162 बायोगैस प्लांट तथा 4 चेकडैम बनाकर जंगल पर दबाव कम किया गया।

► सहकारी मंडली : ‘वन पुनर्निर्माण एवं ग्राम विकास सहकारी मंडली लिमिटेड’ के रूप में पंजीकरण कराकर 229 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए ‘अधिकार पत्र’ प्राप्त किए गए।

इसलिए, बाज़ार में जेनेरिक बताकर बेची जा रही कोई भी बिना ब्रांड वाली दवा जीवचरक्षक नहीं है, बल्कि यह एक घातक जहर भी हो सकती है। जेनेरिक दवा का मतलब सस्ता तो होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सभी दवाएँ असली हैं। अगर आम जनता समय रहते जागरूक नहीं हुई, तो मोटापा और मधुमेह कम करने की यह क्रांति भारत में लाखों परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाली विपत्ति बन जाएगी। इसलिए असली और नकली में फर्क करना न भूलें!

► राष्ट्रीय पुरस्कार : बलेटी को उसके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1998 में नई दिल्ली में तत्कालीन केन्द्रीय वन मंत्री के हाथों ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार’ प्रदान किया गया था, जिसमें 50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया था।

► आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ : गाँव में दूध उत्पादन बढ़कर प्रतिमाह लगभग 12 से 13 हजार लीटर हो गया। चारे की उपज में 7 गुना वृद्धि हुई तथा बाँस की बिक्री से 17.7 लाख रुपए से अधिक की आय हुई। वन विभाग द्वारा गाँव में 59.4 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य पूरे किए गए हैं, जिनमें पीने के पानी की पाइपलाइन, सड़कें, सिलाई कक्षाएँ आदि शामिल हैं।

अन्य गाँव प्रेरित हुए

बलेटी माँडल से प्रेरित होकर मांडवी तहसील के अमरकुई और वॉकल जैसे लगभग 65 से अधिक गाँव भी अपने जंगलों की रक्षा करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इसे ग्रामीणों की इस अनूठी पहल की पर्यावरणीय उपलब्धि के रूप में पहचाना जा सकता है।

कम उम्र में स्मार्टफोन की लत का बढ़ता खतरा: बच्चों के समग्र विकास के लिए एक चिंताजनक स्थिति

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा)

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों को इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार है क्योंकि देश के दूरदराज के गांवों में शैक्षिक कार्यों के लिए इंटरनेट सेवाएं आवश्यक हैं। मान लीजिए कि बच्चों को इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार है। लेकिन आज के आधुनिक युग में, स्मार्ट मोबाइल फोन अब उन छोटे बच्चों के हाथों में भी पहुँच गए हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल में कदम नहीं रखा है। कम उम्र में बच्चों के बीच मोबाइल फोन का बढ़ता उपयोग चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक ओर तो बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर बच्चे मोबाइल फोन पर मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। बालक की गलियों में बैठे छोटे बच्चे अपने मोबाइल फोन चालू करके मौज-मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि कम उम्र में मोबाइल फोन के प्रति बढ़ता आकर्षण बच्चों को पढ़ाई, रचनात्मक और शारीरिक गतिविधियों को किस तरह प्रभावित करेगा। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए माता-पिता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को मोबाइल फोन देने के बजाय, उन्हें किताबें पढ़ने, मैदान में खेलने और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है।आजकल तो पड़क किनारे या थमन निर्माण में काम करने वाले दंपति भी अपने रते हुए बच्चों को मोबाइल फोन थमाकर चुप करा देते हैं। अरे! यहाँ तक कि अच्छी गृहिणियों भी अपने रते हुए बच्चों को मोबाइल फोन थमाकर काम करने लगी हैं। इस प्रकार, जब किसी बच्चे को मोबाइल फोन दिया जाता है, तो उसका मोबाइल फोन का आदी होना तय है।

व्हीकल्स (ईवी) और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भविष्य के अत्याधुनिक क्षेत्रों का केन्द्र आज गुजरात बन रहा है। जापान के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है और गुजरात के पास उत्कृष्ट प्रतिभा है; दोनों की शक्तियाँ मिलकर वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। उप मुख्यमंत्री ने जापान के निवेशकों को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में उपस्थित रहने के लिए हार्दिक निमंत्रण देते हुए 'आइए, देखिए, निवेश कीजिए और हमारे साथ विकास कीजिए' का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि ओसाका में आज के कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ 11 महत्वपूर्ण वन-टू-वन बैठकें करेंगे और गुजरात में बड़े पैमाने पर निवेश लाने तथा नए औद्योगिक संबंध स्थापित करने के संबंध में फलदायी चर्चाएँ करेंगे।

पश्चिम रेलवे ने मिशन जीरो स्क्रेप के अंतर्गत स्क्रेप बिक्री में 300 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल की

पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्क्रेप निस्तारण में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि “मिशन जीरो स्क्रेप” पहल के अंतर्गत अपने सभी प्रतिष्ठानों और इकाइयों को स्क्रेप-मुक्त बनाने के प्रति पश्चिम रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे ने अक्टूबर, 2026 के मध्य में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पश्चिम रेलवे ने 16 अक्टूबर, 2026 तक 248.97 करोड़ रुपये के आनुपातिक लक्ष्य के मुकाबले लगभग 320 करोड़ रुपये की कुल स्क्रेप बिक्री दर्ज की है, जो लक्ष्य से 28 प्रतिशत



से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पश्चिम रेलवे के लिए निर्धारित समग्र स्क्रेप बिक्री लक्ष्य 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2026 के महीने में विशेष अभियान अवधि के दौरान, पश्चिम रेलवे ने अक्टूबर 2026 महीने के लिए निर्धारित 55

स्क्रेप सहित स्क्रेप सामग्रियों की समय पर पहचान और निस्तारण के माध्यम से पर्याप्त राजस्व भी उत्पन्न करता है।

21 अक्टूबर से वेरावल-बान्द्रा सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस का चोरवाड रोड स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव,यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में पश्चिम रेलवे का महत्वपूर्ण कदम



05.49/05.50 बजे रहेगा। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने बताया कि इस के प्रायोगिक ठहराव से चोरवाड रोड रेलवे स्टेशन क्षेत्र के यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी। साथ

ही स्थानीय नागरिकों को बेहतर रेल संपर्क के माध्यम से सूचना दी। चाइल्ड हेल्पलाइन से प्राप्त परामर्श के अनुसार, बालक के संरक्षण और बाल कल्याण से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया प्रबंधक, भावनगर, अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 16 अक्टूबर 2026 को सवारी गाड़ी संख्या 59424 वेरावल-राजकोट में एक नाबालिग बालक अकेले यात्रा करता हुआ मिला। एक यात्री बालक को लेकर आरपीएफ पोस्ट, जेतलसर पहुंचा। वहां ड्यूटी पर तैनात सहायक उपनिरीक्षक (एसएसआई) दीपक मीना ने बालक से पूछताछ की। बालक ने अपना नाम रुद्र, पिता का नाम अमित गुप्ता और उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष बताई। उसने स्वयं को महाराष्ट्र के बोईसर का निवासी बताया।

RPF की सतर्कता से अकेले यात्रा कर रहा 12 वर्षीय बालक सुरक्षित, जीआरपी जेतलसर को सौंपा

पहुंच गया था। उसकी कम उम्र और अकेले यात्रा करने की स्थिति को देखते हुए आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लिया। बालक की ट्रेन में अकेले यात्रा कर रहे एक नाबालिग बालक को सुरक्षित संरक्षण उपलब्ध कराया। बालक को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), जेतलसर के सुपुर्द कर दिया गया, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर, अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 16 अक्टूबर 2026 को सवारी गाड़ी संख्या 59424 वेरावल-राजकोट में एक नाबालिग बालक अकेले यात्रा करता हुआ मिला। एक यात्री बालक को लेकर आरपीएफ पोस्ट, जेतलसर पहुंचा। वहां ड्यूटी पर तैनात सहायक उपनिरीक्षक (एसएसआई) दीपक मीना ने बालक से पूछताछ की। बालक ने अपना नाम रुद्र, पिता का नाम अमित गुप्ता और उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष बताई। उसने स्वयं को महाराष्ट्र के बोईसर का निवासी बताया।

पृष्ठताछ के दौरान बालक ने बताया कि वह घर पर किसी को बताए बिना ट्रेन में बैठकर यहां

बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े मामलों में संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। रेलवे परिसर और ट्रेनों में अकेले या असहाय अवस्था में मिलने वाले बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कदम उठाना महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें सुरक्षित वातावरण और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी ट्रेन या स्टेशन पर कोई बच्चा अकेला, असहाय या परेशानी की स्थिति में दिखाई दे, तो उसे अनदेखा न करें। उपस्थिति में बालक को जीआरपी के सुपुर्द किया गया, जिससे उसके मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई की सराहना करते हुए भावनगर के संवेदनशीलता की प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में समय पर कार्रवाई और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय के महत्व को भी रेखांकित किया।

मंडल सुरक्षा आयुक्त, भावनगर, अजय शर्मा के मार्गदर्शन में मंडल का रेलवे सुरक्षा बल



रेलवे प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्ग अपनाकर

असुविधा से बचें तथा मरम्मत कार्य को सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने में सहयोग करें।